परिपत्र सं0-स0द0 10/1087 / वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर,उत्तर प्रदेश

( सचलदल अनुभाग)

लखनऊ:: दिनांक:: 27 जनवरी , 2011

**समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर / एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2 (वि0अनु0शा0)**

**<u>वाणिज्य कर विभाग , उत्तर प्रदेश ।</u>**

**विषय- <u>सचलदल / वि0अनु0शा0 इकाईयों की कार्य प्रणाली मे सुधार के संबंध में ।</u>**

कृपया उपर्युक्त विषयक मुख्यालय के परिपत्र संख्या-स0द0-1004 / वाणिज्य कर दिनांक 22-09-10 का संदर्भ लेने का कष्ट करें जिसके प्रस्तर-1 में प्रवर्तन ड्यूटी के बिन्दु 3 में निम्न निर्देश दिये गये हैं :-

**" सचल दल इकाई मे कार्यरत सभी अधिकारी / कर्मचारी सम्बन्धित जोन के एडिशनल कमिश्नर ग्रेड-2 (वि0अनु0शा0) की मुहर एवं हस्ताक्षरों से निर्गत परिचय पत्र ड्यूटी के दौरान अवश्य रखेंगे और क्रेता -विक्रेता / ट्रान्सपोर्टर / वाहन प्रभारी (चालक) के अनुरोध पर इसे अवश्य दिखायेंगे । "**

उपर्युक्त निर्देशों के अनुरुप समस्त जोनल एडिशनल कमिश्नर ग्रेड-2 (वि0अनु0शा0) द्वारा अपने जोन में कार्यरत सचलदल इकाईयों / वि0अनु0शा0 इकाईयों के अधिकारियों / कर्मचारियों को परिचय पत्र निर्गत कर उपलब्ध करा दिये गये होंगे फिर भी मुख्यालय के संज्ञान मे यह तथ्य आए हैं कि उक्त निर्देशों का अनुपालन प्रवर्तन इकाईयों मे कार्यरत अधिकारियों / कर्मचारियों द्वारा सुनिश्चित नही किया जा रहा है । इस संबध मे पुन: निर्देश दिये जाते है कि सचलदल इकाईयों / वि0अनु0शा0 इकाईयों मे कार्यरत सभी अधिकारी / कर्मचारी / वाहन चालक एवं पुलिस कर्मियों द्वारा जोन के एडिशनल कमिश्नर ग्रेड- 2 (वि0अनु0शा0) की मुहर एवं हस्ताक्षरों से निर्गत परिचय पत्र ड्यूटी के दौरान अवश्य साथ रखेंगे और क्रेता -विक्रेता / ट्रान्सपोर्टर / वाहन प्रभारी (चालक) के अनुरोध पर इसे अवश्य दिखायेंगे ।

कृपया उक्त निर्देशों से अपने जोन के अन्तर्गत सचलदल / वि0अनु0शा0 इकाइयो मे कार्यरत अधिकारियों / कर्मचारियों / पुलिस कर्मियों को अवगत कराते हुये इसका अनुपालन दि0 02-02-11 तक सुनिश्चित करायें । यदि उक्त तिथि के बाद यह पाया जाता है कि सचलदल इकाईयों / वि0अनु0शा0 इकाईयों मे कार्यरत सभी अधिकारी / कर्मचारी / वाहन चालक एवं पुलिस कर्मियों द्वारा जोन के एडिशनल कमिश्नर ग्रेड- 2 (वि0अनु0शा0) की मुहर एवं हस्ताक्षरों से निर्गत परिचय पत्र ड्यूटी के दौरान अपने साथ नही रखा गया है और क्रेता -विक्रेता / ट्रान्सपोर्टर / वाहन प्रभारी (चालक) के अनुरोध पर नही दिखाया गया है तो ऐसे दोषी पाये गये अधिकारी / कर्मचारी / पुलिस कर्मी के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ।

कृपया उपर्युक्त निर्देशों का अनुपालन तत्काल कठोरता से किया / कराया जाना सुनिश्चित करें ।

27/1/11

(चन्द्रभानु)

कमिश्नर , वाणिज्य कर,

उत्तर प्रदेश

**<u>पृ0 पत्र संख्या एवं दिनांक उक्त ।</u>**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रमुख सचिव , कर एवं निबन्धन , उत्तर प्रदेश शासन , लखनऊ ।

2- समस्त एडिशनल कमिश्नर , वाणिज्य कर, मुख्यालय / प्रशिक्षण केन्द्र , लखनऊ ।

3- समस्त अनुभाग प्रभारी , वाणिज्य कर मुख्यालय , लखनऊ ।

(एम0 के0 श्रीवास्तव)

ज्वाइन्ट कमिश्नर (स0द0) वाणिज्य कर,

मुख्यालय , लखनऊ ।